

प्रेषक,

सौजन्या,  
अपर सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग-8)

देहरादून :: दिनांक: 05 मार्च, 2013

विषय: वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 4212 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित वार्षिक विवरणी को दाखिल किये जाने की समय-सीमा को अन्तिम रूप से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2013 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

भवदीय,

(सौजन्या)  
अपर सचिव।

16076  
5/3/13  
विधि.....अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें  
अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून